




GOVERNMENT OF HARYANA/हरियाणा सरकार  
Directorate Elementary Education  
मौलिक शिक्षा निदेशालय

Directorate of Elementary Education / मौलिक शिक्षा निदेशालय



E-mail: [elementaryeps@gmail.com](mailto:elementaryeps@gmail.com) - Site: [www.harprathmik.gov.in](http://www.harprathmik.gov.in)

ई-मेल:  
सेवा में,

सभी जिला शिक्षा अधिकारी एवं  
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।

यादी क्रमांक- 33/2-2025 पी0एस0 (ई0-1)

दिनांक पंचकूला :- 28-01-2026

विषय:- मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत, सहायता एवं अनुदान (CHEERAG) स्कीम के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु दाखिले की प्रक्रिया आरम्भ करने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

चिराग स्कीम के तहत सहमति प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए कक्षा छठी से बारहवीं में दाखिले करने के लिए शेड्यूल निम्नानुसार है:-

- (क) मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय चिराग स्कीम के अंतर्गत छात्रों के दाखिले करने बारे अपनी सहमति विभाग की वेबसाइट <https://harprathmik.gov.in/> व <https://schooleducationharyana.gov.in> पर Latest News सैक्शन के Seat Declaration under CHEERAG Scheme (2026-27) पर दिनांक 29 जनवरी, 2026 से 15 फरवरी, 2026 तक दर्ज करवा सकते हैं।
- (ख) सहमत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की कक्षावाइज घोषित सीटों का विवरण विभाग द्वारा विभागीय वेबसाइट/पोर्टल पर दर्शाया जाएगा व सम्बन्धित विद्यालय दिनांक 10 मार्च, 2026 से नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा।
- (ग) अभिभावक/छात्र सहमत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में दिनांक 13 मार्च, 2026 से 30 मार्च, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
- (घ) जिन विद्यालयों में सीटों से ज्यादा आवेदन प्राप्त होंगे तो उस स्थिति में दाखिले हेतु लॉटरी के माध्यम से दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से 05 अप्रैल, 2026 की अवधि में ड्रॉ निकाले जाएंगे तथा सम्बन्धित अभिभावकों को लॉटरी ड्रा निकालने की तिथि/समय बारे सूचित करेंगे और उनकी उपस्थिति में ड्रॉ निकाला जाएगा।
- (ङ) मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय प्राप्त आवेदनों पर दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से 15 अप्रैल, 2026 तक दाखिले की प्रक्रिया सम्पन्न करेंगे तथा सफल छात्रों की सूची विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर दर्शाएंगे।
- (च) लॉटरी ड्रा के पश्चात् मुख्य सूची में सफल छात्रों द्वारा निर्धारित तिथि तक दाखिला न लेने पर उनकी रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची के छात्रों के दाखिले दिनांक 16 अप्रैल, 2026 से 30 अप्रैल, 2026 तक किये जाएंगे तथा इस दौरान विद्यालयों द्वारा दाखिल विद्यार्थियों का विवरण विभागीय पोर्टल पर दिनांक 1 अप्रैल, 2026 से 30 अप्रैल, 2026 तक दर्ज कराना आवश्यक होगा।
- (छ) दाखिला अवधि में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित विद्यालयों में विभागीय Nominee नियुक्त करेंगे। जिसके लिए वह विद्यालय के नजदीक के खण्ड शिक्षा अधिकारी/सरकारी विद्यालय के किसी प्राचार्य/मुख्याध्यापक/पी.जी.टी./अध्यापक में से किसी एक को नियुक्त कर सकता है।
- (ज) प्राइवेट मान्यता प्राप्त विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जिन छात्रों के अभिभावकों की वार्षिक आय 8 लाख रुपये (मानव संशाधन विभाग, चण्डीगढ़ के वर्तमान जारी पत्र क्रमांक 22/12/2019-IGS-III दिनांक 14.01.2026 अनुसार) व उससे कम होगी, उन्हीं छात्रों को दाखिले के लिए पात्र माना जाएगा तथा वह आय परिवार पहचान पत्र की वार्षिक सत्यापित आय से मान्य होगी।





GOVERNMENT OF HARYANA/हरियाणा सरकार  
Directorate Elementary Education  
मौलिक शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास  
Education, Culture and Development  
School Education, Haryana  
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा  
तमसो मा ज्योतिर्गमय  
Lead me from Darkness to Light

E-mail: elementaryps@gmail.com - Site: www.harprathmik.gov.in

- (झ) इस स्कीम के तहत केवल वे छात्र पात्र होंगे जिन्होंने गत शैक्षणिक वर्ष में अपनी शिक्षा सरकारी विद्यालयों से प्राप्त/उत्तीर्ण की होगी।
- (ञ) छात्र दाखिले हेतु केवल उसके वर्तमान खण्ड जिसमें वे पढ़ रहे हैं उसी खण्ड के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में उपलब्ध सीटों पर दाखिले के लिए पात्र होंगे तथा वे खण्ड में एक से अधिक विद्यालयों में भी दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- (ट) जिस मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय को अभिभावक/छात्र द्वारा आवेदन पत्र दिया जाएगा वह विद्यालय अभिभावक/छात्र को पावती (रसीद) अवश्य देगा।
- (ठ) सफल छात्र का पिछले सरकारी विद्यालय से स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (SLC) लिया जाना अनिवार्य होगा।
- (ड) दाखिले के लिए बच्चे की फ़ैमिली आई.डी-परिवार पहचान पत्र (PPP No.) का होना अनिवार्य है जिसमें परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये व उससे कम होनी चाहिए।
- (ढ) फीस प्रतिपूर्ति राशि के लिए वही मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय पात्र होंगे जिन द्वारा फार्म-VI में अपने विद्यालय की फीस राशि Revise/ Unrevise चालू सत्र के लिए पोर्टल पर दर्शायी गई होगी।
- (ण) दाखिल होने वाले छात्रों का डेटा MIS के तहत अपडेट किया जाएगा तथा दाखिल होने वाले छात्रों की सूचना विभाग को दाखिले की अन्तिम तिथि के 15 दिनों के अन्दर-अन्दर भेजनी होगी।

अतः चिराग स्कीम के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में छात्रों के दाखिले हेतु आवेदन फार्म का प्रारूप भेजते हुए आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त दिशा-निर्देशों अनुसार दाखिले के सम्बन्ध में अपने जिले के सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को सूचित करें।

संलग्न- आवेदन फार्म का प्रारूप।

*(Handwritten Signature)*  
20/09/2026-01-2026  
अधीक्षक पी0एस0(ई0),

कृते: महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,  
पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक -सम-

दिनांक, पंचकूला:-

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उपनिदेशक, आई.टी.सैल (स्थानीय) को इस अनुरोध कि साथ प्रेषित की जाती है कि उपरोक्त शेड्यूल अनुसार मान्यता प्राप्त विद्यालयों की सहमति लेने हेतु पूर्व वर्षों की भौति चिराग ऑनलाईन पोर्टल खोला जाए।
2. अधीक्षक, प्राइवेट स्कूल शाखा (सैकेण्डरी)।

*(Handwritten Signature)*

अधीक्षक पी0एस0(ई0),  
कृते: महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,  
पंचकूला।